

I Witness No. 01 For आवेदक साक्षी Deposition taken
the .. 06 day of जुलाई , 2026 Witness's apparent age..... 36 Yrs.
शपथपूर्वक राजू वस्त्रकार
States On Affirmation.....my name is.....
Son of..... नंदईया वस्त्रकार रोजी मजदूरी
Address..... ग्राम- नयापारा सिरगिट्टी, थाना सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर, छ.ग.

टीप - साक्षी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में अपना शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया है, जिसकी कंडिका 01 से 04, तक हैं।

मुख्य परीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वनाथ सोनी, वास्ते आवेदक

5. मैंने अपने दावा आवेदन के समर्थन में न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक - 11229/2024 (थाना सिरगिट्टी के अपराध क्रमांक 580/2024)से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किया हूँ, जिनमें अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी.2, सम्पत्ति जब्ती पत्रक प्रदर्श पी.3, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी.4, अपराध विवरण प्रदर्श पी.5, चालक प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.6, मेकेनिकल मुलाहिजा प्रदर्श पी.7, जमानत-मुचलका प्रदर्श पी.8, बेडहेड टिकट हेतु आवेदन प्रदर्श पी.9, ईलाज से संबंधित मेडिकल बिल प्रदर्श पी.10 से लेकर प्रदर्श पी.29 है। इसके अतिरिक्त मैंने अपने आधार कार्ड, किस्म सुपर स्पेशलिस्ट हास्पिटल, बिलासपुर की डिस्चार्ज समरी की छायाप्रति पेश किया हूँ। मुझे दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाये।

प्रतिपरीक्षण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम साहू, वास्ते-अनावेदक क्रमांक- 3

6. दिनांक 20.08.2024 को मैं काम से मोटरसाईकिल चलाते हुए घर आ रहा था। यह कहना सही है कि दुर्घटना की रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं लिखाई गई है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.3 जब्ती पत्रक के अनुसार वाहन क्रमांक सी.जी.10 ए.यू.1344 की जब्ती दुर्घटना के 06 दिन विलंब से हुई है। यह कहना सही है कि मेरे पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस नहीं था। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल में हम लोग तीन व्यक्ति सवार थे। स्वतः कहा कि मैं अकेला था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा चालित मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी एवं बीमा कम्पनी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मेरे द्वारा चालित मोटरसाईकिल के बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर लिया हूँ इसलिए उसे पक्षकार नहीं बनाया हूँ।

7. यह कहना सही है कि मैं बिना हेलमेट के मोटरसाईकिल चला रहा था । यह कहना सही है कि मैं अपने कार्य, आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूँ । यह कहना गलत है कि मैं अपनी उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हूँ । स्वतः कहा कि आधार कार्ड की फोटोकापी पेश किया हूँ जिसके अनुसार मेरी जन्म तिथि 10.05.1990 है । यह कहना सही है कि मुझे कोई स्थाई विकलांगता नहीं है ।

8. यह कहना गलत है कि मुझे साधारण चोट आई थी । यह कहना सही है कि मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड से हुआ है । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श पी.14, पी.15, पी.19, पी.22, पी.23, पी.24, पी.25, पी.29 के बिल में सील मोहर नहीं लगी है । यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी.10 से लेकर प्रदर्श पी.29 तक के बिल को मेरे द्वारा फर्जी तरीके से बनवाकर प्रकरण में पेश किया गया है । यह कहना सही है कि मेरा डाक्टर मुलाहिजा प्रकरण में संलग्न नहीं है । स्वतः कहा कि बेडहेड टिकट के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं डिस्चार्ज समरी की छायाप्रति पेश किया हूँ । यह कहना गलत है कि इलाज में मेरा कोई खर्च नहीं हुआ है, मेरा इलाज शासकीय खर्च पर हुआ है ।

9. यह कहना सही है कि मैंने अपने शपथपत्र की कंडिका 02 में मेरा बांया जांघ, बांया घुटना टूटना बताया है तथा रॉड लगा होना बताया है, इस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट, फिल्म पेश नहीं किया हूँ । साक्षी ने स्वतः कहा कि डिस्चार्ज समरी की छायाप्रति पेश किया हूँ । यह कहना गलत है कि मैं अपना कार्य पूर्व की भांति कर रहा हूँ । यह कहना गलत है कि दावा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हूँ । यह कहना गलत है कि मैं स्वयं की लापरवाही से मोटरसायकल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । यह कहना गलत है कि झूठा दावा पेश किया हूँ । यह कहना गलत है कि मुझे दुर्घटना से कोई चोट नहीं आयी है । यह कहना गलत है कि मैं शराब के नशे में मोटरसायकल का चालन कर रहा था ।

साक्षी को कथन पढ़कर सुनाया गया ।
उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया ।
गया ।

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

गवाह का हस्ताक्षर